न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार

आई०ए०एस०

प्रा० पत्र सं० 127/2022 प्रा.पत्र सुपुर्दगीनामा

सफात खान पुत्र रिसाल खॉन जाति मुसलमान निवासी मन्ना क्री थाना नूह जिला मेवात हरियाणा

...प्रार्थी

बनाम

सरकार जरिए ए०पी०पी० दौसा

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी एफ.आई.आर. नंबर 176/2021 पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा अपराध धारा 3, 5, 6, 8 राज० गोवंशीय अधिनियम एवं 19/54 Ex Act.

उपस्थित:1. श्री राजेन्द्र जांगिड, अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक 30.7.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा इस प्रकार है कि थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा द्वारा दिनांक 17.6.2021 को 19 गोवंश भरकर ले जा रही केन्टर वाहन संख्या एचआर 74 बी 6817 को अभियोग संख्या 176/2021 अंतर्गत धारा 3, 5, 6, 8 गोवंश अधिनियम एवं 19/54 Ex Act. में जब्त किया गया। पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा द्वारा उक्त केन्टर वाहन संख्या एचआर 74 बी 6817को सुपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रा०पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मय केस डायरी तलब की गई। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा की एक प्रति अभियोजन अधिकारी को दी गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा सुपुदर्गीनामा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि पुलिस थाना मण्डावर द्वारा प्रार्थी के वाहन नंबर केन्टर वाहन संख्या एचआर 74 बी 6817 केन्ट्रा को उक्त प्रकरण में जब्त किया गया है। प्रार्थी उक्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है तथा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्त वाहन का उक्त अपराध से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है तथा वाहन थाने में करीब 1 साल से पडा खराब हो रहा है। पुलिस को उक्त वाहन की तफ्तीश में कोई आवश्यकता नहीं है तथा प्रकरण में अनुसंधान होने में समय लगेगा, ऐसी सूरत में प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुदर्गी पर दिया जाना आवश्यक है। प्रार्थी माननीय न्यायालय श्रीमान की संतोष की राशि के सुपुदर्गीनामा व जमानतनामा प्रस्तुत करने को तैयार है तथा न्यायालय के आदेशों की पालना करने को तैयार है तथा न्यायालय जब भी उक्त वाहन को तलब करेगी तो सुपुदर्गीदार न्यायालय में वाहन को प्रस्तुत कर देगा। उक्त उनवानी प्रकरण का रिमांड पेपर न्यायिक मजिस्ट्रेट महवा चल रहा है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.12.2022 नियत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा द्वारा जब्तशुदा वाहन एच.आर.74 बी 6817 केन्ट्रा को सुपुदर्गी पर देने के आदेश प्रदान करावें।
3. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि दिनांक 17.6.2021 को वाहन एच.आर.74 बी 6817 केन्ट्रा में गौ तस्करी हेतु ले जा रहे थे जिनको [illegible] थाना मण्डावर द्वारा जब्त किया गया था। जब्तशुदा वाहन में 19 गोवंश भरे हुए थे जि[illegible] मुं[illegible] पैर बांधकर ठूंस ठूंस कर भरे हुए थे। साथ ही जब्तशुदा केन्ट्रा वाहन[illegible]शराब होना पाया गया। इस प्रकार अवैध रूप से गोवंश को गोकशी के लिए राजस्थान से हरियाणा परिवह[illegible] व अवैध देशी हथकढ शराब रखना अपराध धारा 3, 5, 6 व 8 [illegible]श अधिनियम व 16/[illegible]कारी अधिनियम प्रमाणित है। प्रकरण में चार्जशीट नंबर 154/2022 दिनांक 29.6.2022 धारा 3, 5, 6 व 8 राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:14 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

गोवंश अधिनियम व धारा 16/54 आबकारी एक्ट में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महवा में चालान पेश किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सुपुर्दगीनामा खारिज फरमाया जावे।

4. इस संबंध में राज. गोवंशीय पशु अधिनियमं की धारा 6 ए के प्रावधान निम्नानुसार है जो अवलोकनीय है:—

" 1 6-A. Confiscation of the means of conveyance.- (1) Whenever an offence punishable under this Act is committed, any means of conveyance used in the commission of such offence shall be liable to confiscation.

(2) Where any means of conveyance referred to in sub-section (1) is seized in connection with the commission of any offence punishable under this Act, a report of such seizure shall, without unreasonable delay, be made by the person seizing it to the Competent Authority and whether or not a prosecution is instituted for commission of such offence, the Competent Authority, having jurisdiction over the area where the said means of conveyance was seized, may, if satisfied that the said means of conveyance was used for commission of offence under this Act, order confiscation of the said means of conveyance:

Provided that before ordering confiscation of the said means of conveyance a reasonable opportunity of being heard shall be afforded to the owner of the said means of conveyance and if such owner satisfies the Competent Authority that he had no reason to believe that such offence was being or likely to be committed and he had exercised due care in the prevention of the commission of such an offence, the Competent Authority may not confiscate the said means of conveyance:

Provided further that where such means of conveyance is owned by the Central Government or any State Government or any of their undertaking, no order of confiscation of such means of conveyance shall be passed by the Competent Authority and the matter shall be referred to the State Government by the Competent Authority for making such orders regarding means of conveyance as the State Government may deem fit:

Provided also that before ordering confiscation under this sub-section, the owner of the means of conveyance referred to in sub-section (1), may be given an option to pay, in lieu of confiscation, a fine not exceeding the market price of such means of conveyance:

Provided also that an owner of a means of conveyance shall not be given option under the preceding proviso, if he had been given option under that proviso at an earlier occasion.

(3) Whenever any means of conveyance as referred to in sub-section (1) is seized in connection with commission of an offence under this Act, the Competent Authority shall have, and notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, any Court, Tribunal or other authority shall not have, jurisdiction to make order with regard to the possession, delivery, disposal or release of such means of conveyance.

(4) Where the Competent Authority is of the opinion that it is expedient in public interest or for the benefit of its owner that the means of conveyance, as referred to in sub-section (1), seized for commission of offence under this Act be sold by public auction, he may at any time direct it to be sold.

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:14 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

(5) Any order of confiscation made by the Competent Authority shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected thereby is liable under this Act.".

5. हमने पत्रावली व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

6. अभिलेख, जब्ती रिपोर्ट, कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना मंडावर की रिपोर्ट से यह सिद्ध होता है कि जब्त किया गया कंटेनर नंबर एचआर 74 बी 6817 जिसमें से 19 गोवंश जिन्हे रस्सियों से मुँह व पैर बांध रखे थे जिनमें 12 सांड नर व सात गाय मादा मिली को राजस्थान गोवंशीय पशु अधिनियम 1955 के विरूद्ध उपयोग में लिया गया था। अतः धारा 6 ए (1) के तहत जब्ती योग्य है। वाहन स्वामी द्वारा अपने स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य से यह सिद्ध नहीं हुआ है कि वाहन स्वामी को अपराध की संभावना होने की जानकारी नहीं थी और उसने अपराध निवारण हेतु उचित सावधानी बरती। अतः धारा 6 ए (2) के प्रथम उपबंध के अनुकूल जब्ती से छूट देने का आधार नहीं पाया जाता है। चूकि धारा 6 ए(3) के तहत जब्त माध्यम/परिवहन की हिरासत/रिलीज/डिस्पोजल के संबंध में आदेश देने का विशेषाधिकार केवल सक्षम अधिकारी (जिला कलक्टर) के पास है।

7. धारा 6 ए के तहत जब्ती की कार्यवाही अपराधिक मुकदमों से स्वतंत्र एवं अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निम्न आदेश पारित किये जाते है:'

1. वाहन कमांक एचआर 74 बी 6817 वाहन स्वामी सफात पुत्र रिसाल खान को अधिनियम की धारा 6 ए (1)–(2) के अधीन राज्य के पक्ष में जब्त किया जाता है। यह आदेश अपराध विचारण से स्वंतत्र है और धारा धारा 6 ए (5) इस जब्ती के बावजूद अभ्युिक्त पर विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी।
2. वाहन स्वामी को जब्ती के स्थान पर अधिकतम बाजार मूल्य के 40 प्रतिशत समतुल्य जुर्माना अदा करने का विकल्प दिया जाता है। उक्त मूल्यांकन वाहन स्वामी द्वारा जिला परिवहन कार्यालय दौसा से करवाया जायेगा। जिला परिवहन अधिकारी दौसा को निर्देशित किया जाता है कि वह वाहन स्वामी द्वारा उक्त मूल्यांकन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर यह मूल्यांकन नियमानुसार 10 दिवस में करके देंगे। जुर्माना दिये जाने के लिए वाहन स्वामी को 45 दिवस का समय दिया जाता है। जिसमें यदि वाहन स्वामी जुर्माना अदा कर देता है तो वाहन की जब्ती का आदेश रदद माना जायेगा और शर्तानुसार वाहन वापिस किया जायेगा। अन्यथा यह जब्ती आदेश प्रभावी रहेगा।
3. जब्ती आदेश प्रभावी होने की स्थिति में जिला परिवहन कार्यालय दौसा द्वारा उक्त वाहन को सरकारी नीलामी के माध्यम से बेचा जायेगा एवं प्राप्त राशि को विधि अनुसार विनियमित की जावेगी।
4. यदि स्वामी द्वारा उक्त जुर्माना राशि अदा की जाती है तो अपराधिक वाद लंबित रहने तक वाहन एच.आर.74 बी 6817 केन्टर को अन्य किसी प्रकरण में वांछित नहीं हो तो प्रार्थी की सुपुर्दगी में 5,00,000/–रू0 के जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर देने के आदेश निम्न शर्तो की पालना के अध्यधीन दिया जाता है:–
5. वाहन को रहन/बेचान नहीं करेगा।
6. बीमा अवधि समाप्त होने से पूर्व वाहन का बीमा रिन्युअल करवायेगा।
7. वाहन का रंग रो[illegible] परिवर्तित नहीं करेगा।
8. जब भी न्यायालय वाहन को त[illegible] अपने खर्चे पर साक्ष्य हेतु पेश करेगा। (इस हेतु वह अपना स्था[illegible] मेल पता व व्हाट्सअप नंबर शपथ पत्र पर प्रस्तुत करे)
9. साथ ही प्रार्थी उक्त वाहन के जुर्माने के रूप में 7,00,000/–रू0 (अक्षरे सात लाख रूपये मात्र) राजकोष में जमा कर[illegible]र रसीद, मोचन आदेश (रिलीज ऑर्डर) एवं वाहन के स्वामी होने के प्रमाण के मूल दस्तावेज थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर को प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:14 IST
Reason: SelfAttested

Dw
जिला कलेक्टर, दौसा

कर दे तो वाहन प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दे दिया जावे। निर्णय की प्रति थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डावर व जिला परिवहन अधिकारी दौसा को प्रेषित की जावे। पुलिस थाना मण्डावर जिला दौसा की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

निर्णय आज दिनांक 30 जुलाई, .2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:58:14 IST
Reason: SelfAttested